प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022** प्र0इ0रि0 सं. 417/2022 दिनांक 20/10/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **(संशोधन)अधि. 2018**..... धाराये.....**7**
(II) * अधिनियम..... .....धारायें ....
(III) *अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 364 समय 3:30 pm
(ब) *अपराध घटने का वार.....**बुधवार**.....दिनांक....19.10.2022 समय 11.05 **ए.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **15.10.2022**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक–**मौखिक व लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–42 किलोमीटर
(ब)*पता..... .....
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री गणपतलाल
(ब) पिता/पति का नाम श्री सीताराम शर्मा
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 33 साल.....
(द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय .....
(ल) पता – गांव मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– आरोपी श्री चन्द्रभान पुत्र श्री कजोडमल जाति जाट उम्र 33 निवासी गांव गठवाडी तहसील जमुवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम तहसील चौमूं जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
.....———.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
.....रिश्वती राशि .....10000/– रूपये

10. *चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 10000/–

11. *पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 15.10.2022 को श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने जरिये मोबाईल नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक मूलचन्द मीना को अवगत कराया कि एक परिवादी जिसका नाम गणतलाल है, ने एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कोई रिश्वत मांग संबंधी शिकायत दर्ज करवायी है। आप कार्यालय पहुॅचे तथा श्री इन्द्र सिंह कानि भी कार्यालय आ रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय पहुॅचा तथा श्री इन्द्र सिंह कानि भी कार्यालय आया

व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड 32 जीबी अलमारी से निकलवाकर खाली होना सुनिश्चित किया तथा श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को साथ लेकर परिवादी श्री गणपतलाल द्वारा बताये स्थान चीथवाडी पुलिया के पास चौमूं जयपुर के पास पहुॅचे, जहां पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिनको श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गणपतलाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर होना बताया, जिस पर श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गणपतलाल को स्वयं व हमराहियान को परिचय दिया। इसके पश्चात परिवादी श्री गणपतलाल ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत किया कि– " सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक A.C.B.जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर विषयः– रिश्वत मामने की शिकायत करने के सम्बन्ध में महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी मॉ धापा देवी का अब से करीब 3–4 महिने पहले मृत्यू हो गयी। मेरी मॉ के नाम मेरे गांव मोरीजा त. चौमूं जिला जयपुर में खाता सं. 261,78,79,634 में टोटल करीब 1/2–3/4 बीघा जमीन है। उक्त जमीन के नामान्तरण फोती खुलवाने फोती नामान्तरण खुलवाने के लिये मेने व मेरे पिताजी सीताराम शर्मा जी ने पटवारी चन्द्रभान जी जाट पटवार हल्का क्षेत्र मोरीजा A से सम्पर्क किया तो पटवारी ने बताया कि उक्त जमीने में से खाता 261 कि जमीन केनरा बैंक के नाम एवं खाता स 78 कि जमीन केनरा बैंक के नाम तथा खाता सं 79 कि जमीन युको बैंक के नाम रहन के रूप में दर्ज हो चुकी है। अतः उक्त रहन सुदा जमीन का नामान्तरण नही खुल सकता तथा उक्त पटवारी चन्द्रभान उक्त जमीन से सम्बधित दर्ज सुदा रहन को हटाने व फौती नामान्तरण खुलवाने की एवज मे 20,000 रूपये कि रिश्वत की मांग कर रहा है। पटवारी मेरे पिताजी सीताराम शर्मा से ही रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करता है। सीताराम शर्मा मेरे पिताजी से ही उक्त पटवारी चन्द्रभान रिश्वत राशि लेगा मेरी रिपोर्ट पर कानुनी कार्यवाही करें। इसके पश्चात श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने पास बुलाकर परिवादी श्री गणपतलाल से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी श्री गणपतलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के लिए पृष्ठांकित कर निर्देश प्रदान किये, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणपतलाल से पुनः नाम पता पूछा त्तो उसने अपना नाम पता बताया तथा मजिद दरियाफ्त करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की व कहा कि मेरी व मेरे पिताजी की श्री चन्द्रभान पटवारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है तथा न ही कोई लेन देन शेष है। आज पटवारी श्री चन्द्रभान नही मिलेगा जब भी मिलेगा तो मै आपको सूचित कर दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणपतलाल को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्स्त किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री इन्द्र सिंह कानि जयपुर के लिए रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुॅचे।

इसके पश्चात दिनांक 18.10.2022 को मांग सत्यापन के दौरान सहपरिवादी व आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी पटवार हल्का मोरीजा से वार्ता हुई, तो वार्ता के दौरान श्री चन्द्रभान पटवारी ने सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा से 10,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। इसके पश्चात दिनांक 19.10.2022 को समय 7.30 ए.एम पर एसीबी स्टॉफ उपस्थित कार्यालय आये तथा पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री भागचन्द व श्री शिवम श्रीमाली उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री भागचन्द वाधवानी पुत्र स्व. श्री द्वारकादास वाधवानी हाल सहायक अनुभागाधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री शिवम श्रीमाली पुत्र स्व. श्री प्रेमशंकर श्रीमाली वरिष्ठ सहायक क्लर्क ग्रेड प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर मोबाईल नंबर 8949499157 होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने कल दिनांक 18.10.2022 को गांव मोरीजा चौमूं में

मिलने के लिए कहा था। इसलिये मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो आर जे 14 यू ए 1392 के आगे की तरफ डेस्क बोर्ड में रखवाया गया तथा श्री रोहित सेपट को उक्त वाहन में बैठने के लिए कहा तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री धर्मवीर सिंह कानि न. 236, श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, श्री इन्द्र सिंह कानि नं. 148, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री भागचन्द व श्री शिवम श्रीमाली एंव लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय से मोरीजा चौमूं के लिए रवाना होकर खुशबू होटल गांव मोरीजा चौमूं से पूर्व चंदबाजी रोड पर पहुॅचकर मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री सीताराम से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो कुछ समय पश्चात सहपरिवादी मेरे पास आया तथा पास में ही बना कागज के कबाड का गोदाम चंदबाजी रोड मोरीजा में चलने के लिए कहने पर हम सभी सरकारी वाहन से उक्त गोदाम में पहुॅचे, जहां पर वाहनो को साईड में खडा करवाकर उक्त गोदाम में बने एक कमरे में मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान के पहुॅचे, जहां पर परिवादी श्री गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम भी उपस्थित है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम से दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया। कुछ समय पश्चात श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस इमदाद के लिए उपस्थित आए। इसके पश्चात समय 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणपत लाल व सह परिवादी सीताराम को संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी पटवार हल्का मोरिजा ए, तह. चौंमू जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000/–रूपये निकालकर पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक से वाहन के डेक्क बोर्ड में रखवायी गयी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। इस समय परिवादी श्री गणपतलाल ने बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी रिश्वत राशि मेरे पिता श्री सीताराम शर्मा से ही लेगा इसलिए सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री शिवम श्रीमाली से लिवायी गयी, सहपरिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर सहपरिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि 10000 रखवाये गये व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री रोहित सेपट को मुनासिब हिदायत देकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के साथ कार्यालय के लिए रवाना किया गया। इस समय 10.38 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर मोबाईल नंबर 9785058950 से संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रभान के मोबाईल नंबर 8118893821 पर वार्ता करवायी तो संदिग्ध आरोपी ने सहपरिवादी को नगरपालिका चौंमू में मिटिंग होने से मोरिजा नहीं आना बताया तथा नगरपालिका चौंमू में 10–15 मिनट में आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री धर्मवीर सिंह कानि न. 236, श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, श्रीमती नीलम मकानि 22, व स्वतंत्र गवाह श्री

भागचन्द व श्री शिवम श्रीमाली एंव लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहनो मय चालको एवं सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा को स्वयं की मोटरसाईकिल पर श्री इन्द्र सिंह कानि. के साथ नगरपालिका चौमू के लिए रवाना होकर नगरपालिका चौंमू के आसपास पहुॅचकर वाहनों को साईड में खड़ा करवाया व जहां पर सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा व श्री इन्द्र सिंह पृथक से मोटरसाईकिल पर आए तथा सहपरिवादी श्री सीताराम ने स्वयं के मोबाईल नंबर 9785058950 से संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रभान के मोबाईल नंबर 8118893821 पर समय 10.48 पर वार्ता की तो आरोपी ने नगरपालिका चोमूं परिसर में पीछे की तरफ बुलाया, जिस पर सहपरिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी के पास नगरपालिका चौंमू के अंदर रवाना किया तथा पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहन के नगरपालिका चौंमू के आसपास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। कुछ समय पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री सीताराम को एक व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर जाते हुऐ दिखा, उक्त व्यक्ति संदिग्ध आरोपी हो सकता है। इसलिये श्री इन्द्र सिंह कानि को मोटरसाईकिल के साथ पीछे पीछे रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री भागचन्द भी पदैल ही पीछे पीछे रवाना हुऐ। तत्पश्चात समय 11.05 एएम पर सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने जयपुर रोड चौमूं बाजार की तरफ से श्री इन्द्र सिंह कानि के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आये और श्री इन्द्र सिंह कानि ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में मुझे सुपुर्द किया एवं सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने कहा कि मैं आरोपी श्री चन्द्र भान सिंह पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम के पास नगरपालिका चौमूं के अन्दर गया तो श्री चन्द्रभान सिंह पटवारी ने मुझे स्वयं की होण्डा कम्पनी की मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 52 एसबी 4674 पर बिठाकर जयपुर रोड की तरफ छोटी देवी अस्पताल के पास ले गया और मेरे से रिश्वत राशि 10,000 रूपये प्राप्त कर मुझे वापस देकर मोटरसाईकिल आर जे 52 एसबी 4674 के साईड बैग में रखवाया तथा मुझे वही छोटी देवी अस्पताल के पास छोडकर रवाना हो गया, इतनी देर में श्री इन्द्र सिंह कानि मेरे पास आये तो मैने उनको उपरोक्त घटना से अवगत कराया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा कहा कि आरोपी श्री चन्द्रभान सिंह पटवारी ने मुझे पूर्व में वार्ता की तब नगरपालिका चौमूं में मिटींग होना बताया है इसलिये वह उक्त मिटींग में ही गया होगा। इसके पश्चात मै श्री इन्द्र सिंह कानि के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर नगरपालिका चौमूं आये तथा परिवादी श्री गणपतलाल भी मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा, परिवादी श्री गणपतलाल व स्वतंत्र गवाहान श्री शिवम श्रीमाली व श्री भागचन्द एवं एसीबी स्टॉफ को साथ लेकर नगरपालिका परिसर में पीछे की तरफ बने मिटींग हॉल में गये, जहां पर मिटींग होने से काफी संख्या में व्यक्ति बैठे हुऐ थे, उक्त मिटींग हॉल में सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने सामने पीले रंग की शर्ट व नीले रंग की जीन्स की पेंट पहने हुऐ कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यह श्री चन्द्रभान सिंह पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम है जिन्होने अभी अभी मुझे स्वंय की मोटरसाईकिल नम्बर. आर जे 52 एसबी 4674.पर बिठाकर छोटी देवी अस्पताल के पास ले गया, जहां पर मेरे से रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने हाथ से लेकर वापस मुझे देकर स्वयं की मोटरसाईकिल के साईड बैग की चैन खुलवाकर रखवा लिये थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एंव एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आरोपी श्री चन्द्रभान पुत्र श्री कजोडमल जाति जाट उम्र 33 निवासी गांव गठवाडी तहसील जमुवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम जयपुर होना बताया। उक्त मिटींग हॉल में मिटींग होने पर व्यवधान होने से आरोपी श्री चन्द्रभान को साथ लेकर मिटींग हॉल के बाहर आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्रभान को सहपरिवादी श्री सीताराम से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री चन्द्रभान ने बताया कि मैने श्री सीताराम जी से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इसके पश्चात परिवादी श्री गणपत लाल व सहपरिवादी श्री सीताराम ने आरोपी श्री चन्द्रभान की बात का खंडन करते हुऐ सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा ने बताया कि श्री चन्द्रभान झूठ बोल रहा

है। मेरी पत्नी श्रीमती धापा देवी के नाम मेरे गांव मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर में करीब 3–4 बीघा जमीन है। मेरी पत्नी श्रीमती धावा देवी की मृत्य करीब 3–4 महिने पूर्व हो गई थी, उक्त जमीन का फोती नामान्तरण खुलवाने के लिए मैने व मेरे पुत्र श्री गणपतलाल ने पटवारी श्री चन्द्रभान से सम्पर्क किया तो पटवारी ने बताया कि उक्त जमीन मे से खसरा नम्बर 261,78 की जमीन केनरा बैंक के नाम व खसरा नम्बर 79 की जमीन यूको बैंक में रहन के रूप में दर्ज हो रखी है। अतः उक्त जमीन का नामान्तण नहीं खुल सकता तथा उक्त जमीन का केनरा बैंक व यूको बैंक से रहन को हटाने व नामान्तरण खुलवाने की एवज में 20,000 रूपयें की मांग की तो मेरे पुत्र श्री गणपत लाल ने एसीबी में इसकी शिकायत करने पर आपके कार्यालय से श्री इन्द्र सिंह कानि के साथ दिनांक 18.10.2022 को आरोपी श्री चन्द्रभान के पास गया तो उन्होने मेरे से 20,000 रूपये की मांग कर 10,000 रूपये में सहमति प्रदान की तथा अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 19.10.2022 को मेरे से 10,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त किये है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्रभान से दिनांक 18.10.2022 को सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा व आरोपी के मध्य मांग सत्यापन के दौरान व आज दिनांक 19.10.222 को रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको चलाकर सुनाया तो आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम चुप हो गया व गर्दन नीचे करकर अपने हाथों को रगडने लगा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री शिवम श्रीमाली से आरोपी श्री चन्द्रभान की मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 52 एसबी 4674 के साईड बैग की चैन खुलवाकर चैक करवाया तो उसमें 500–500 सौ रूपये रखे हुऐ नोट मिले, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री शिवम श्रीमाली से बाहर निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 सौ रूपये के 20 नोट मिले, जिनका पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू रिश्वत राशि होना पाई गई। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5ET-457244
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2DV-714885
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6PV-321750
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6QH-059564
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3KT-660069
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6GQ-839521
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2WR-731398
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NQ-003347
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5QA-739311
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1WQ-466681
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4ME-802855
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1MR-405468
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3BE-264911
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2FB-443392
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1HE-829792
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6HA-407779
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4KW-256194
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0KM-187055
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NE-222818
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GB-133429

उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाहान श्री शिवम श्रीमाली के पास सुरक्षित रखवाई गई। इसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही करने के लिए नगरपालिका चौमू परिसर में बने एक कमरे में पहुॅचकर प्रारम्भ की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री सीताराम द्वारा कही गई बातों की

ताईद करने के लिए परिवादी,सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री चन्द्रभान के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री चन्द्रभान के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री चन्द्रभान की मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 52 एसबी 4674 जिस पर लगे साईड बैग में रिश्वत राशि 10,000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त बैग का धोवन लेने के लिए मन् पुलिस निरीक्षक व परिवादी श्री गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर गये तथा मोटरसाईकिल पर लगे साईड बैग को उतरवाकर वापस कार्यवाही वाले कमरे में पहुॅचे तथा उक्त बैग का धोवन लेने के लिए उक्त विधि से ही साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया तथा ट्रैप बॉक्स में से स्वच्छ रूई की चिंदी निकालकर मोटरसाईकिल के बैग में जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखवाई गई थी उक्त स्थान पर रूई की चिन्दी से रगडकर रूई की चिन्दी को धोवन में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क B–1 व B–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात उक्त मोटरसाईकिल के बैग पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर मार्क B अंकित किया जाकर वजह सबूत जप्त किया तथा उक्त रूई की चिंदी को सुखाकर प्लास्टिक की थैली मे रखने के पश्चात एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर सील्ड कर मार्क C अंकित कर वजह सबूत जप्त कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री शिवम श्रीमाली के पास पूर्व में सुरक्षित रखी 500–500 सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये की रिश्वत राशि को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी पटवार हल्का मोरीजा से परिवादी गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम की पत्रावली के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि रहन हटाने का शुद्विकरण हम हमारे स्तर पर ही करते है। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी की मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 52 एसबी 4674 की सर–सरी तौर पर तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो कोई भी आपित्तजनक वस्तु व राशि नहीं मिली। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी

चन्द्रभान पटवारी को आवाज नमूना देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी श्री चन्द्रभान ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। उक्त आवाज नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्रभान की मोटरसाईकिल आरजे 52 एसबी 4674 को पृथक से वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सहपरिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1 R-2 L-1 L-2,B-1 B-2, B, C, एंव कब्जे एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल फोन व रिश्वती राशि 10000 रूपये मय .लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रैप बॉक्स मय आरोपी की मोटरसाईकिल एंव सरकारी वाहन मय चालक के एसीबी कार्यालय पहुँचे। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2022 को परिवादी व सहपरिवादी एंव स्तवंत्र गवाहान श्री भागचन्द व श्री शिवम श्रीमाली की उपस्थिति में दिनांक 18.10.2022 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 19.10.2022 की लेने व मोबाईल पर हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एसडी अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्त एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री चन्द्रभान पुत्र श्री कजोडमल जाति जाट उम्र 33 निवासी गांव गठवाडी तहसील जमुवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री गणपतलाल व सहपरिवादी श्री सीताराम शर्मा के ग्राम मोरीजा प्रथम स्थित जमीन का नामान्तरण खुलवाने व बैंक से रहन हटाने की एवज में आरोपी श्री चन्द्रभान पटवारी द्वारा 20,000 रूपये की मांग करना व दिनांक 18.10.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 10,000 रूपये में सहमति देना तथा दिनांक 19.10.2022 को लेन देने के समय अपनी मांग के अनुशरण में रिश्वती राशि 10,000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री चन्द्रभान पुत्र श्री कजोडमल जाति जाट उम्र 33 निवासी गांव गठवाडी तहसील जमुवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मोरीजा प्रथम जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई।

(मूलचंद मीना) 8-11-22
पुलिस निरीक्षक,
जयपुर नगर–चतुर्थ
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचंद मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री चन्द्रभान, पटवारी, पटवार हल्का मोरीजा प्रथम, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 417/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3630-34 दिनांक 20.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

20.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।